भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1247

उत्तर देने की तारीख: 10.12.2025

ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर

1247. श्रीमती राजाथी:
श्री रायगा कृष्णैया:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा लाए गए 102वें और 105वें संवैधानिक संशोधनों में 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग' की परिभाषा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ओबीसी पर लागू 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा को हटाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): जी, हां।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।